प्रेस नोट/सराहनीय कार्य-
(पत्रांक-38/2025 दिनांक 07.02.2025)
दिनांक-07.02.2025 को जनपद कुशीनगर पुलिस द्वारा किया गया सराहनीय कार्य-

थाना कोतवाली पडरौना पुलिस द्वारा आत्महत्या के लिए उकसाने के मुकदमे में वांछित एक महिला अभियुक्ता को किया गया गिरफ्तार व एक बालअपचारी अभिरक्षा में-

जनपद कुशीनगर में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 07.02.2025 को थाना को0 पडरौना पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 48/2025 धारा 191(2),61(2),108 बीएनएस से संबंधित एक महिला अभियुक्ता को गिरफ्तार कर व एक बालअपचारी को अभिरक्षा में लेकर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग-
मु0अ0सं0 48/2025 धारा 191(2),61(2),108 बीएनएस

गिरफ्तार महिला अभियुक्ता व अभिरक्षा में बालअपचारी-
1.एक महिला अभियुक्ता
2. एक बालअपचारी

गिरफ्तारी करने वाली टीम-
1. प्रभारी निरीक्षक रवि कुमार राय थाना को0 पडरौना जनपद कुशीनगर ।
2. म0उ0नि0 प्रगति जायसवाल थाना को0 पडरौना जनपद कुशीनगर ।
3. म0का0 प्रियंका पटेल थाना को0 पडरौना जनपद कुशीनगर ।
4. म0का0 संगीता यादव थाना को0 पडरौना जनपद कुशीनगर ।
5. का0 अंकुर सिह थाना को0 पडरौना जनपद कुशीनगर ।
6. का0 मनोज यादव थाना को0 पडरौना जनपद कुशीनगर ।

थाना कोतवाली पडारौना पुलिस द्वारा एक नफर वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

Edit with WPS Office

जनपद कुशीनगर में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 07.02.2025 को थाना को0 पडरौना पुलिस द्वारा मु0नं0 1392/1999 मु0अ0सं0 82/99 धारा 3/5ए/8 गो वध नि0 अधि0 व 11 पशु क्रुरता अधि0 से सम्बन्धित वारण्टी शौकत पुत्र मोहम्मदीन मियां निवासी विरती जिला पश्चिमी चम्पारण बिहार को गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

पंजीकृत अभियोग-
मु0नं0 1392/1999 मु0अ0सं0 82/99 धारा 3/5ए/8 गोवध नि0 अधि0 व 11 पशु क्रुरता अधि0

गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्त-
शौकत पुत्र मोहम्मदीन मियां निवासी विरती जिला पश्चिमी चम्पारण बिहार

गिरफ्तारी करने वाली टीम-
1. प्रभारी निरीक्षक रवि कुमार राय थाना को0 पडरौना जनपद कुशीनगर
2. उ0नि0 अरविन्द राय थाना को0 पडरौना जनपद कुशीनगर
3. हे0का0 रामलाल यादव थाना को0 पडरौना जनपद कुशीनगर

थाना पटहेरवा पुलिस द्वारा पशु तस्कर गैंग के 04 अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही की गई-

पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री संतोष कुमार मिश्रा के निर्देशन में जनपद कुशीनगर में कानून व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाये जाने व अपराध एवं अपराधियों तथा गोवंशीय पशुओं की तस्करी पर अंकुश लगाये जाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 07.02.2025 को गो-वंशीय पशुओं की तस्करी करने वाले गैंग से संबंधित अभियुक्तगण 01. अशरफ बंजारा पुत्र शरापी बंजारा निवासी रावतपुर काँट जनपद शाहजहाँपुर उ0प्र0, 02. कल्लू बंजारा पुत्र बादशाह बंजारा निवासी रावतपुर काँट जनपद शाहजहाँपुर उ0प्र0, 03.सिकन्दर सिंह पुत्र रामजीत सिंह निवासी अन्ध्या थाना कसया जनपद कुशीनगर, 04.मुन्ना खान पुत्र मुस्तफा खान निवासी सलेमगढ पठानी टोला थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर के विरुद्ध थाना पटहेरवा द्वारा 3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही की गयी। उल्लेखनीय है कि उपरोक्त अभियुक्तगणों द्वारा अपने-अपने परिवार एवं सगे संबंधियों/ गैंग सदस्यो के लिए आर्थिक व भौतिक लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से गो-वंशीय पशुओं की तस्करी कर ले जाकर बिक्री कर अधिक रूपये अर्जित कर अपना जीवन यापन करते हैं। गैंग

Edit with WPS Office

लीडर द्वारा अपने गैंग के सदस्यों के साथ 09.03.2022 को एक ट्रक वाहन संख्या UP 30 AT 7639 से 20 राशि गो-वंशीय पशु की तस्करी कर ले जाते समय गिरफ्तार हुए थे जिसके सम्बन्ध मे थाना पटहेरवा मे मु0अ0सं0 68/2022 धारा 3/5ए8/5बी गोवध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0 पंजीकृत हुआ जिसमें वाद विवेचना आरोप पत्र ए-114 दिनांक 18.04.2022 को मा0 न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है। यह गिरोह संगठित होकर अपने साथियो के लिए आर्थिक /भौतिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश से गोवंशीय पशुओ की तस्करी करने का कार्य करता है एवं अवैध सम्पत्ति अर्जित करता है जिनके विरूद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 29/2025 धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही की गयी।

थाना अहिरौली बाजार पुलिस द्वारा चोरी/नकबजनी से सम्बन्धित गैंग के कुल 05 अभियुक्तों के विरूद्ध गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही की गयी-

पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री संतोष कुमार मिश्रा के निर्देशन में जनपद कुशीनगर में कानून व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाये जाने व अपराध एवं अपराधियों तथा चोरी/नकबजनी पर अंकुश लगाये जाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 07.02.2025 को चोरी/नकबजनी करने वाले गैंग से संबंधित अभियुक्तगण 01.संदीप सिंह पुत्र शिवशंकर सिंह साकिन मुण्डेरा बाबू थाना अहिरौली बाजार जनपद, 2.मनीष सिंह पुत्र स्व0 रामरती सिंह साकिन भटहट थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर, 3.देवेन्द्र पुत्र ध्रुप नरायन साकिन सेन्दुआर टोला झुगहिया थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर, 4.ओमकार गुप्ता पुत्र श्री रामअचल गुप्ता साकिन परसौना टोला जंगल मोहम्मद बरवा थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर, 5.रवि कुमार पुत्र रामरक्षा साकिन सेमरा नं0 2 थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर के विरुद्ध थाना अहिरौली बाजार पुलिस द्वारा 3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही की गयी। उल्लेखनीय है कि उपरोक्त अभियुक्तगणों द्वारा अपने-अपने परिवार एवं सगे संबंधियों/ गैंग सदस्यो के लिए आर्थिक व भौतिक लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से चोरी/नकबजनी करते हैं तथा चोरी से अर्जित सम्पत्ति ले जाकर बिक्री कर अधिक रूपये अर्जित कर अपना जीवन यापन करते हैं। गैंग लीडर द्वारा अपने गैंग के सदस्यों के साथ थाना स्थानीय क्षेत्र के ग्राम मोरवन उर्फ गोपाला में दिनांक 16.11.2024 को तथा ग्राम हरपुर सुख्खड़ मे दिनांक 21.11.2024 से 23.11.2024 के बीच रात्रि में आमजन के घरों को निशाना बनाकर तथा रात्रि में ताला तोड़कर चोरी/नकबजनी की घटना कारित की गयी है तथा उन घरों से सोने व चांदी के जेवरात व कुछ नकदी तथा एक अदद स्कूटी आदि की चोरी की गयी है जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर क्रमशः

Edit with WPS Office

मु0अ0सं0 445/2024 धारा 305(ए) बी.एन.एस,मु0अ0सं0 451/2024 धारा 331(4),305(ए) बी0एन0एस0 बनाम अज्ञात चोर के पंजीकृत किया गया। उक्त चोरी की घटना के अनावरण प्रयास के क्रम में दिनांक 05.12.2024 व दिनांक 06.12.2024 को उक्त गिरोह के कब्जे से उपरोक्त मुकदमें में चोरी गये सोने व चांदी के जेवरात आदि की बरामदगी की गयी है तथा उपरोक्त अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर उनके विरूद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही सम्पादित की गयी। यह गिरोह संगठित होकर अपने साथियो के लिए आर्थिक /भौतिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से चोरी/नकजबनी की घटनाओं को अंजाम देने का कार्य करते हैं एवं अवैध सम्पत्ति अर्जित करते हैं जिनके विरूद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 44/2025 धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही की गयी।

शान्ति भंग में की गयी निरोधात्मक कार्यवाही-
जनपद कुशीनगर के विभिन्न थानों की पुलिस द्वारा 38 नफर अभियुक्तों को शान्ति भंग में गिरफ्तार कर धारा 170 बीएनएसएस के अन्तर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की गयी।

कार्यवाही एक नजर में=
1- मोटर वाहन अधिनियम में की गयी कार्यवाही-सीज-00, ई-चालान-65 वाहन
2- 126/135 बीएनएसएस में की गयी कार्यवाही-मु0-46, व्यक्ति-134
3- वांछित/वारंटी/अन्य अपराधों में अभियुक्तों की गिरफ्तारी-(02)
4- जनपद में कुल गिरफ्तारी–(कुल-40)

सोशल मीडिया सेल
जनपद कुशीनगर

Edit with WPS Office